न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **बंटवारा वाद सं0-23/19**
अवर न्यायाधीश **सीआईएस संख्या -23/19**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 08.04.2024**

दिनांक 08.04.2024 वाद पुकारा गया। मामले में वादी की ओर दिनांक 08.04.2024 को दिए गए आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है। वादी का कथन है कि उसने खतियान खाता नं 144 की सच्ची प्रतिलिपि बयनामा दिनांक 27.09.2019 निर्मला देवी बनाम देवंती देवी की सच्ची प्रतिलिपि तथा निर्मला देवी बनाम देवंती देवी बयनामा दिनांक 12.10.2019 की सच्ची प्रतिलिपि जमा है । सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं अतः उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो दस्तावेज निस्तारण हेतु दस्तावेज का प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है । मामले में न्यायालय **अब्दुल रहमान तथा अन्य बनाम मोहम्मद कारू तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.11.18 में माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा, पटना उच्च न्यायालय के पी0एल0जे0आर0 2019 (1) –376 में पारित आदेश का अवलोकन करती है जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के संबंध में कहा है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज या आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसे विपक्षी पक्षकार के आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य बहस के समय देखा जा सकता है।** अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय वादी के आवेदन के अवलोकन पर यह पाती है कि वादी का यह कथन वादी का कथन है कि उसने खतियान खाता नं 144 की सच्ची प्रतिलिपि बयनामा दिनांक 27.09.2019 निर्मला देवी बनाम देवंती देवी की सच्ची प्रतिलिपि तथा निर्मला देवी बनाम देवंती देवी बयनामा दिनांक 12.10.2019 की सच्ची प्रतिलिपि जमा है । सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं न्यायालय उक्त दस्तावेज को **स्वीकृत करती है** और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)